# न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

## विविध बैंक प्रकरण संख्या 143/2024(GCMS : 2024/207)

**Bandhan Bank Limited,** DN-32, Sector V, Salt Lake City, Kolkata, West Bengal-700091 **Regional Office Address** Bandhan Bank Ltd. Nataji Marg, Near Mithakhali Six Roads, Ellisbridge, Ahmedabad, Gujrat-380006, **Sriganganagar Branch Address** : Bandhan Bank Limited , Plot No. 44, K-Block, Ground Floor, Near Tandon Laboratory Sriganganagar-335001 **Through Authorized Officer Mr. Bhupendra Singh**

**बनाम**

1. **Mr. Ram Lal, Address** Ward No. 1, Khicharan Bas, Sadulsahar, District Sriganganagar, Rajasthan – 335062
2. **Mrs. Kalawati Devi Address** Ward No. 1, Khicharan Bas, Sadulsahar, District Sriganganagar, Rajasthan – 335062
3. Mr. Badri Prasad (Since Deceased) Through his legal Heirs
   a. Mr. Anirudh (Son)
   b. Mr. Ram Lal (Son)
   c. Ms.Jyotsana Khichar (Daughter)
   d. Mrs. Kalawati Devi (Wife)
   **Address** Ward No. 1, Khicharan Bas, Sadulsahar, District Sriganganagar, Rajasthan – 335062

**23.10.2024**

**पत्रावली पेश हुई।** प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री कमल जोशी ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण विजयपाल, नत्थूराम, बद्री प्रसाद(मृतक) के उत्तराधिकारी अनिरूद्ध, रामलाल, ज्योत्सना खीचड़ एवं कलावती देवी को ऋण सुविधा के रूप में 6.25/–लाख रूपये (4.25/– लाख रूपये की दिनांक 15.01.2019 को एवं 2.00/– लाख रूपये की दिनांक 22.02.2021 को) ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। अप्रार्थीग[…] के खाते में दिनांक 22.03.2024 को 5,33,315/– रूपये की राशि बकाया थी। […] की एवज में **अप्रार्थी कलावती द्वारा बंधक रखी अपनी अचल आवासीय सम्पत्ति वार्ड** 01, **खीचडान बास, सादुलशहर, राजस्थान जिला श्रीगंगानगर राजस्थान (पट्टा संख्या**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:43:49 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

**110) पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 900 वर्गफुट है। (उक्त सम्पत्ति की चारों सीमाऐं है : उत्तर में श्री नरपाल सिंह, दक्षिण में गली, पूर्व में श्री अनिरूद्ध एवं पश्चिम में गली)**, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

**मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14,** शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** विजयपाल, नत्थूराम, बद्री प्रसाद(मृतक) के उत्तराधिकारी अनिरूद्ध, रामलाल, ज्योत्सना खीचड़ एवं कलावती देवी को ऋण सुविधा के रूप में खाता संख्या 20007060002585 में दिनांक 15.01.2019 को 4.25/– लाख रूपये एवं खाता संख्या 20007060003415 में दिनांक 22.02.2021 को 2.00/– लाख रूपये कुल 6.25/– लाख रूपये **(अखये रूपये छः लाख पच्चीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी कलावती ने अपनी अचल **आवासीय सम्पत्ति वार्ड संख्या 01, खीचडान बास, सादुलशहर, राजस्थान जिला श्रीगंगानगर राजस्थान (पट्टा संख्या 110) पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 900 वर्गफुट है। (उक्त सम्पत्ति की चारों सीमाऐं है : उत्तर में श्री नरपाल सिंह, दक्षिण में गली, पूर्व में श्री अनिरूद्ध एवं पश्चिम में गली)**, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 03.10.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति की अभिस्वीकृति पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस के प्राप्त हो गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:43:49 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी कलावती की अचल आवासीय सम्पत्ति वार्ड संख्या 01, खीचडान बास, सादुलशहर, राजस्थान जिला श्रीगंगानगर राजस्थान (पट्टा संख्या 110) पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 900 वर्गफुट है। (उक्त सम्पत्ति की चारों सीमाऐं है : उत्तर में श्री नरपाल सिंह, दक्षिण में गली, पूर्व में श्री अनिरूद्ध एवं पश्चिम में गली), जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 22.03.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 22.03.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 22.03.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गए है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:43:49 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

**या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **कलावती देवी** द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

**अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बंधन बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **कलावती द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल आवासीय सम्पत्ति वार्ड संख्या 01, खीचडान बास, सादुलशहर, राजस्थान जिला श्रीगंगानगर राजस्थान (पट्टा संख्या 110) पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 900 वर्गफुट है। (उक्त सम्पत्ति की चारों सीमाऐं है : उत्तर में श्री नरपाल सिंह, दक्षिण में गली, पूर्व में श्री अनिरूद्ध एवं पश्चिम में गली), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified

**यह आदेश आज दिनांक 23.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Digitally Signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:43:49 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर